

**FOURTH REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE (1977-78)**

SHRIMATI SUSHILA SHANKAR ADIVAREKAR (Maharashtra): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Fourth Report of the Public Accounts Committee on paragraphs relating to Income Tax included in Chapter III of the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 1973-74 and 1974-75, Union Government (Civil), Revenue Receipts, Volume II, Direct Taxes.

**TWENTY-SIXTH REPORT OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION**

SHRI B. N. BANERJEE (Nominated): Sir, I beg, to present the Twenty-sixth Report of the Committee on Subordinate Legislation.

-----  
**STATEMENT BY MINISTER**

**The Proposed Amendment of the Pulses and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977**

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): उपसभापति महोदय . . .

श्री उपसभापति: यह स्टेटमेंट तो बहुत लम्बा है. . .

श्री कृष्ण कुमार गोयल: अगर आपकी आज्ञा हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री उपसभापति: आप इसे सभा पटल पर रख दें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: मैं आपकी आज्ञा से 30 सितम्बर, 1977 को जारी किये गये दालें तथा खाद्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 के प्रस्तावित संशोधन के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. LT-1132A/77.]

SHRI SANAT KUMAR RAHA (West Bengal): We should discuss this thing. It is very important.

Reference to Alleged Excesses By UP. Police in the Border Villages of Bihar

श्री बलराम दास (मध्य प्रदेश): मैं सदन का ध्यान हिन्दुस्तान दैनिक पत्र, 16 नवम्बर, 1977 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें बिहार जनता पार्टी के संगठन मंत्री डा० स्वामीनाथ तिवारी ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उक्त सीमावर्ती क्षेत्र का दो दिन का दौरा करने के बाद वापस आये। जनता पार्टी के चार अन्य विधायक सर्वश्री दीनानाथ पांडेय, नवल किशोर शाही, जयनारायण मिश्र तथा लक्ष्मण स्वर्णकार भी संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे। इन विधायकों ने बताया कि भोजपुर जिले के नैनीजोर और हज़ार दियारा गांवों के किसानों को उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ने वाली लगभग दस हजार एकड़ जमीन से खदेड़ दिया गया। सशस्त्र पुलिस के बल पर उनके फसलों को काटा गया तथा मनमाने ढंग से लोगों की गिरफ्तारियां की गयीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर-प्रदेश सरकार की यह पाकर सीमावर्ती गांवों की हरिजन महिलाओं के साथ वहां की पुलिस दुर्व्यवाह्र कर रही है। इस संदर्भ में उन्होंने महुआर गांव की एक घटना का जिक्र किया और कहा कि पिछले 29 अक्टूबर को हरिजन टोले की दो महिलाओं के साथ कई पुलिस कर्मियों ने बलात्कार किया।

विधायकों ने कहा कि श्री सी० एम० त्रिवेदी के अर्वाइ के अनुसार संसद ने 1968 में बिहार-उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन ऐक्ट पारित किया जिससे बिहार के अनेक ग्राम प्रभावित हुए। अनेके नैनीजोर ग्राम में पांच हजार लोग भूमिहीन बनाये जा चुके हैं। यही स्थिति सभी सीमावर्ती गांवों की है और अनुमानतः दियारा की 50 हजार एकड़ से